

28.12.2021:—वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्तागण कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। बाद बादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में पर्चा डिकी जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर समस्त पत्रावली तकमिल दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते



(डॉ अवि मर्ण)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पट्टेन सहायक कलक्टर

हनुमानगढ



Web Copy

-